न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर.ए.एस)

अपील संख्या 46/2013 (223 आर.टी.एक्ट)
आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2013/00124
उनवानी :–

1– त्रिलोकीनाथ (मृतक)
1.1– मुकेश
1.2– दिनेश
1.3– घनश्याम
1.4– रोहताश
} पिसरान त्रिलोकी नाथ
1.5– कमलेश पुत्री त्रिलोकीनाथ
1.6– रामवती बेवा त्रिलोकीनाथ

} जाति ब्राहम्ण निवासी जाटोली रतभान तहसील व जिला भरतपुर

अपीलांटान–––––––––––––

बनाम

1– सुजान पुत्र टोटूराम जाति जाट निवासी ग्राम हथैनी तहसील व जिला भरतपुर।

असल रेस्पोडेन्ट––––––––––

2– कैलाश
3– जितेन्द्र कुमार
4– योगेन्द्र कुमार
} पिसरान हरी शंकर जाति ब्राहम्ण निवासी जाटोली रतभान तहसील व जिला भरतपुर

तरतीवी रेस्पोडेन्टान ––––––

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर. टी. एक्ट विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री तारीखी 18.06.2012 न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी. एक्ट उनवानी त्रिलोकीनाथ बनाम सुजान वगैराह प्रकरण संख्या 233/08

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज०)

उपस्थितिः—

1— वकील अपीलांट श्री गोविन्द सिंह डागुर।

निर्णय दिनांक 09.03.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री 18.06.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 2393 रकबा 60 एयर वाके ग्राम जाटौली रतभान तहसील व जिला भरतपुर का खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण/रेस्पो0 02 लगायत 04 का सहखातेदार काश्तकार है। तथा इस आराजी को वह अस्मरणीय समय से प्रतिवादीगण/रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 के साथ—साथ काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 का उक्त विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है, न ही उसने इस विवादित आराजी को कभी काश्त किया है, न ही इस पर कभी काबिज रहा है। विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 2393 रकबा 60 एयर साबिक खसरा नम्बर 973, 1122, 1123, 1130, 1131 रकबा 3 बीघा 15 बिसवा से निर्मित हुआ है। भू—प्रबन्ध विभाग के दौरान प्रतिवादी संख्या 01 ने सैटलमैन्ट कर्मचारियों से साज कर उक्त आराजी में 12/70 हिस्सा दर्ज करा लिया है जो कि गैर कानूनी है क्योंकि सैटलमैण्ट को ऐसा कोई अधिकार नहीं थे। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 संख्या 01 के वारिसान की तलबी जरिये रजि0 एडी से हुई परन्तु दिनांकित 11.04.2017 तक कोई उपस्थित नही हुए तथा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाते हुए बहस अपीलाण्ट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2012 पत्रावली पर आये तथ्यों एवं साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट/वादी ने स्वंय का एवं प्रतिवादी ने स्वंय का साक्ष्य के रूप तथा अपने पुत्र हरदेव का शपथ पत्र पेश किया एवं बयान दर्ज कराये। आराजी मुतदाविया पर वादी का ही कब्जा व काश्त करता है। प्रतिवादी का इससे किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। इसके अतिरिक्त यह निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे अपीलाण्ट/वादी के साक्ष्य को स्वीकार न करने का कारण नही बताया इसलिए निर्णय नॉन स्पीकिंग में आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करते समय इस तथ्य पर कोई ध्यान नही दिया है कि भू—प्रबन्ध विभाग को इन्द्राज को बदलने का कोई अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे इस प्रकार का कोई साक्ष्य ऐसा नही है कि जो वादी का कब्जा व काश्त साबित नही करता है। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का निवेदन किया।

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज०)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट की ओर से नकल जमाबंदी संवंत् 2015 लगायत 2018, नकल जमाबंदी संवंत् 2019, नकल जमाबंदी संवंत् 2024 से 2027, नकल जमाबंदी संवंत् 2028 से 2031 प्रस्तुत की। उक्त जमाबंदी में विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर 1121, 1123, 1130, 1131 पर हरीशंकर व त्रिलोकीनाथ बहिस्सा बराबर दर्ज रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल के मुताविक बन्दोबस्त विभाग द्वारा साविक खसरा नम्बर 1121, 1123, 1130 व 1131 का हाल खसरा नम्बर 2393 रकबा 0.60 हैक्टयर निर्मित किया। नकल जमाबंदी संवंत् 2063 से 2066 में उक्त विवादित आराजी त्रिलोकीनाथ हिस्सा 1/2, हरीशंकर के वारिसान रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 हिस्सा बराबर 1/2 दर हिस्सा 58/70 एवं रैस्पो संख्या 01 हिस्सा 12/70 दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संवंत् 2063 से 2066 से पूर्व की जमाबंदी संवंत् 2028 से 2031 के मध्य का राजस्व रिकॉर्ड अपीलाण्ट द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया न ही इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 के हिस्से 12/70 पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा हो, ऐसा भी कोई दस्तावेज अपीलाण्ट द्वारा किसी स्तर पर प्रस्तुत नही किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांकित 18.06.2012 में इस न्यायालय के मत मे कोई त्रुटि प्रतीत होना न्यायोचित नही होती। तदनुसार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे एवं वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

09.03.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर

यह निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे द्वारा लिखा या जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09-03-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज0)

डिकरी व सीगे अपील

(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**

व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या:– 46/2013(223 आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर:– 2013/00124

उनवानी :–

1 त्रिलोकीनाथ (मृतक) बगैराह **(विस्तृत उनवान पुष्ट पर अंकित है)**

............................अपीलांट।

बनाम

1. सुजान पुत्र टोटूराम बगैराह

.... रैस्पोडेण्ट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर. टी.एक्ट विरूद्व निर्णय एवं डिक्री तारीखी 18.06.2012 न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट उनवानी त्रिलोकीनाथ बनाम सुजान वगैराह प्रकरण संख्या 233/08।

यह अपील ....**09**.............माह.....**03**..............सन्...**2021**............व हमारे .....श्री गोविन्द सिंह डागुर एड. ..... . मिनजानिब अपीलाण्ट , समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि... **अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।** (खर्चा अपील................का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.............) रूपये.................. अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का...अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.........**09**...........माह.........**03**........सन्..........**2021**.........को जारी की गई।

09.3.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)

आर.ए.एस.

राजस्व अपील प्राधिकारी

भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बावत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोट:– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

1– त्रिलोकीनाथ (मृतक)
1.1– मुकेश
1.2– दिनेश
1.3– घनश्याम
1.4– रोहताश
} पिसरान त्रिलोकी नाथ
1.5– कमलेश पुत्री त्रिलोकीनाथ
1.6– रामवती बेवा त्रिलोकीनाथ

} जाति ब्राहम्ण निवासी जाटोली रतभान तहसील व जिला भरतपुर

अपीलांटान————————

बनाम

1– सुजान पुत्र टोटूराम जाति जाट निवासी ग्राम हथैनी तहसील व जिला भरतपुर।

असल रेस्पोडेन्ट——————

2– कैलाश
3– जितेन्द्र कुमार
4– योगेन्द्र कुमार
} पिसरान हरी शंकर जाति ब्राहम्ण निवासी जाटोली रतभान तहसील व जिला भरतपुर

तरतीवी रैस्पोडेन्टान ——————

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर